न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील संख्याः–03/2019 भरण पोषण अधिनियम

परमेश्वरी देवी पत्नी स्व. सुरजाराम जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र स्व. सुरजाराम जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. प्रतापसिंह पुत्र स्व. सुरजाराम जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 03.04.2019 अनवानी परमेश्वरी बनाम राजेन्द्र आदि प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित निर्णय के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–12.08.2021**

अपीलान्ट प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्डाधिकारी एवं भरण पोषण अधिकरण, रावतसर के समक्ष धारा 23 माता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपनें हिस्सा की भूमि चक 4 बी.डब्ल्यू.एम. एवं चक 1 बी.डब्ल्यू.एम. व चक 12 आर.डब्ल्यू.डी. की भूमि में अपने 1/12 हिस्सा की करवाई गई दस्तवरदारी दिनांक 01.10.2012 को शुन्य घोषित किया जाकर भूमि पुनः अपने नाम दर्ज करवाने व कब्जा दिलवाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्डाधिकारी, रावतसर द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये अप्रार्थी संख्या 1 ने श्रीमान न्यायालय में मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र राजेन्द्र बनाम परमेश्वरी अन्तर्गत धारा 24 व 151 सी पी सी प्रकरण संख्या 22/2018 प्रस्तुत किया जो निर्णय दिनांक 10.01.2019 को श्रीमान न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। न्यायालय उपखण्डाधिकारी, रावतसर द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 27.03.2019 को निर्णय पारित करके प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दस्तबरदारी दिनांक 01.10.2012 को शुन्य घोषित करते हुए भूमि पुनः प्रार्थीया के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित किया।

अप्रार्थी राजेन्द्र द्वारा निर्णय दिनांक 27.03.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस बी सिविल रिट पीटीशन संख्या 4975/2019 राजेन्द्र बनाम परमेश्वरी आदि प्रस्तुत की जो दिनांक 11.04.2019 को खारिज हो चुकी है।

अप्रार्थी राजेन्द्र द्वारा न्यायालय उपखण्डाधिकारी, रावतसर में दिनांक 03.04.2019 को यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने निर्णय दिनांक 27.03.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका प्रस्तुत कर रखी है व न्यायालय उपखण्डाधिकारी, रावतसर में वाद अनवानी प्रतापसिंह बनाम राजेन्द्र वाद संख्या 50/2018 व वाद राजेन्द्र बनाम प्रतापसिंह वाद संख्या 42/2018 वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर रखे है जिसमें राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अप्रार्थी राजेन्द्र ने उक्त प्रार्थना–पत्र में निर्णय दिनांक 27.03.2019 की पालना रोके जाने का अनुतोष चाहा है परन्तु न्यायालय उपखण्डाधिकारी,

रावतसर द्वारा दिनांक 30.04.2019 को ही यह आदेश पारित किया कि मूल वाद प्रतापसिंह बनाम राजेन्द्र प्रकरण संख्या 245/2018 के मूल बाद में निर्णय तक इस न्यायालय द्वारा प्रकरण परमेश्वरी बनाम राजेन्द्र आदि प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 की पालना आगामी आदेश तक रोकी जाती है।

उक्त निर्णय दिनांक 03.04.2019 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत, बिना क्षेत्राधिकार, प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरूद्ध मनमाने रूप से पारित किया गया होने के कारण खारिज योग्य है।

विचारण न्यायालय में अप्रार्थी रेस्पो. संख्या 1 व 2 के मध्य लम्बित वाद में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा स्थगन आदेश जारी होने का आधार लेते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है परन्तु उक्त दोनो वाद रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने मिली–भगत करके प्रार्थीया अपीलान्टा के पक्ष में भरण पोषण हेतु पारित आदेश दिनांक 27.03.2019 को निष्प्रभावी करने के उदेश्य से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे है व अपीलान्टा उक्त वाद में पक्षकार भी नहीं है इसलिए उक्त वाद के आधार पर अपीलान्टा के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 03.04.2019 की पालना नहीं रोकी जा सकती। इसलिए अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है।

न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिकरण, रावतसर द्वारा दिनांक 27.03.2019 के अंतिम निर्णय पारित करने के पश्चात उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना क्षेत्राधिकार के आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

रेस्पो. संख्या 1 राजेन्द्र ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस बी सिविल रिट पेटीशन संख्या 4975/2019 राजेन्द्र बनाम परमेश्वरी प्रस्तुत की जो 11.04.2019 को खारिज हो चुकी है इसलिए भी विचारण न्यायालय के स्थगन आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है।

प्रार्थीया अपीलान्टा ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2019 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2019 को निरस्त करने का निवेदन किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। माता–पिता नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधि. 2007 के तहत गठित अधिकरण द्वारा अन्तिम आदेश पारित करने के पश्चात अप्रार्थी को न तो कोई अपील का अधिकार है व न ही अधिकरण को कोई पुनः आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार है एवं भरण पोषण व वरिष्ठ नागरिक का कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत इस अधिनियम अभिभावी प्रभाव है। इसलिए भी अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज योग्य है।

अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2019 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 27.03.2019 की पालना करवाई जाकर भूमि का कब्जा प्रार्थीया को दिलवाया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज कर रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 27.03.2019 तलब की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा जरिये न्यायमित्र जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया परमेश्वरी देवी प्रार्थी की माता है जिसने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं भरण पोषण अधिकरण, रावतसर के समक्ष धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रार्थी व उसके भाई प्रताप सिंह को पक्षकार बनाते हुए उसके द्वारा दिनांक 01.10.2012 को पंजिकृत करवाई गई दस्तबरदारी को शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा। इस प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 27.03.2019 को पारित किया व अपीलार्थीया के 8/12 हिस्सा की हद तक दस्तबरदारी अर्थात त्याग पत्र को शुन्य घोषित करने के आदेश पारित किये है। यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि दस्तबरदारी दिनांक 01.12.2012 संयुक्त रूप से अपीलार्थीया ने अपनी पुत्रीयों क्रमशः लिछमा, कमला मीरा बिमला राजकौर, संतोष भानवंती के साथ सम्मिलित होकर चक 1 बीडब्ल्यूएम व 4 बीडब्ल्यूएम में अवस्थित कृषि भूमि में अपने हिस्सा का परित्याग प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया था।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकरण के प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील प्रावधित नहीं की गई है बल्कि भरण पोषण के सम्बन्ध में पारित किये गये अंतिम निर्णय के विरूद्ध ही अपील संधारणीय है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीया परमेश्वरी देवी ने अपने पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ साज बाज कर प्रत्यर्थी सं. 2 को

तंग व पेरशन करने के लिए विधि विरूद्ध तरीका`स एक अपील ओदश दिनांक 03.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो आदेश अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा पारित नही किया गया है बल्कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी, रावतसर जि हनुमानगढ़ ने राजस्व मामलों में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हए माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 26.06.2018 के अनुसरण में तहसीलदार(राजस्व), रावतसर व टिब्बी को भूमि के नामान्तरण से सम्बन्धित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में पारित किया गया है। इस आदेश का कोई सम्बन्ध उपरोक्त भरण पोषण व कल्याण अधिनियम के प्रावधानों से नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध भूराजस्व अधिनियम के प्रावधानों व इसके अधीन विरचित नियमों के अनुसरण में पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपील उक्त अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत नही की जा सकती है व पोषणीय नही है। हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ऐसी अवस्था में भी पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ अधिकरण व माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ऐसी अवस्था में भी पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता हैं जबकि अधीनस्थ अधिकरण व माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम तौर पर जांचा जाना शेष है।

बहस अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्टस जरिये न्यायमित्र सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। न्यायमित्र अपीलाण्ट ने बहस में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय 27.03.2019 के अनुसार रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्पादित दस्तबरदारी दिनांक 01.10.2012 को शुन्य घोषित किया गया है, के अनुसार भूमि प्राप्त नहीं करने व अन्तर्गत धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण राशि दिलवाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट सं. 01 जरिये न्यायमित्र, अपीलाण्ट/न्यायमित्र की बहस को स्वीकार करते हुए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत राशि दिये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2019 व इस आदेश की पालना स्थगित किये जाने के आदेश दिनांक 03.04.2019 को अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को निर्देश दिये जाते है कि अपील दायरा दिनांक 12.06.2019 से 5000–5000 रूपये कुल 10,000 रूपये प्रतिमाह से भरण पोषण की राशि अपीलार्थीया को अदा करेंगे। बकाया राशि का भुगतान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एक माह के अन्दर करने हेतु पाबंद रहेंगे व माह अगस्त 2021 से लगातार माह की अन्तिम तारिख तक भुगतान करेंगे। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पक्षकारों को सूचनार्थ तथा समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official